संख्या:71/2025/591/35-4-2025/ 35-4099/18/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 11 जून,2025

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 95/त्व0आ0वि0यो0/2024-25, दिनांक 27-1-2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-सुलतानपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-520/2023/1207/35-4-2023, दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा स्वीकृत कार्य यथा-**वि0ख0 कूरेभार के कटका अम्बेडकर नगर रोड से राजेन्द्र शुक्ला के घर होते हुए चयनापुर तक लेपन कार्य** (लं0-0.570 किमी0) की रू. 35.33 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रू. 17.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- आपके पत्र संख्या-966/त्व0आ0वि0यो0/2024-25 दिनांक 05.11.2024 द्वारा उपर्युक्त कार्य स्थल पर विवाद के कारण निरस्त किये जाने की संस्तुति के क्रम में एतद्द्वारा उक्त कार्य की स्वीकृति को निम्न शर्तों के अधीन निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उपर्युक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रू. 17.66 लाख नियमानुसार राजकोष के सुसंगत खाते में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति सहित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:71/2025/591(1)/35-4-2025/35-4099/18/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुलतानपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सुलतानपुर।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सुलतानपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in